82

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर, 1994 (भाद्र 25, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार :-

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का दिनांक 31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन (सिविल) क्रमांक-2, तथा

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष का क्रमांक-1 (राजस्व प्राप्तियां),

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री चरणदास महन्त, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959) की धारा 51 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-2-92-विक-पांच (100) दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा वर्षान्त दिनांक 31 मार्च, 1989 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, राज्यमंत्री परिवहन, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-1-90-आठ, दिनांक 4 अगस्त, 1994 के साथ प्रकाशित किये गये मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री सोबरन सिंह मावई, बाबूलाल गौर, सोनेराम कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिला भूमि विकास बैंक में राज्य शासन के निर्देशों की अवहेलना कर नियुक्तियां किए जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री भंवर सिंह शेखावत, सदस्य, खण्डवा जिले के अनेक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नलकूप खनन में अनियमिततायें किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य, रायपुर की महानदी परियोजना में सामग्री क्रय में अनियमिततायें किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. गौरी शंकर शेजवार, श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायसेन जिले के भारकच्छ में शासकीय ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारी के साथ मारपीट एवं कार्यालय में तोड़फोड़ की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री ज्ञान सिंह, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, शहडोल के पाली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भीतर एक नर्स की गोली मार कर हत्या की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, सागर जिले की गढ़ाकोटा एवं रहली तहसील में बीड़ी निर्माण में कमी के कारण श्रमिकों में बेरोजगारी होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री विक्रम वर्मा, प्रेमप्रकाश पाण्डे, रामलखन सिंह पटेल, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम द्वारा उपार्जित बीज के भुगतान में विलम्ब एवं निरस्त बीज का वितरण होने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) डॉ. रामलखन सिंह (भिण्ड), सदस्य, ग्वालियर शहर में अनेक बच्चों का अपहरण होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

(9) श्री भूपेन्द्र सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य, प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भूकम्प के झटकों से हुई क्षति की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री विक्रम वर्मा, सदस्य, सागर के नमक मंडी क्षेत्र में लुटेरों द्वारा एक चौकीदार की हत्या करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) ठा. मोहर सिंह, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम पचपेड़िया में पुलिस का आतंक होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. रमन सिंह, श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं रायगढ़ जिले के उपभोक्ताओं को शक्कर एवं चावल का वितरण न होने की ओर राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य, बिलासपुर जिले के कोरबा विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन ठप्प होने की ओर राज्यमंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

1 घन्टा — श्री इन्द्रजीत कुमार, राज्य मंत्री आवास एवं पर्यावरण, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 30 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. अशासकीय संकल्प

(1) श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. — " सदन का मत है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कार्यरत विकास प्राधिकरणों द्वारा निश्चित अवधि के लिये पट्टे पर दिये जाने वाले भू-खण्डों और उस पर प्रतिवर्ष ली जाने वाली भू-भाटक राशि की प्रथा को समाप्त कर भू-खण्डों का आवंटन पूर्ण स्वामित्व के आधार पर, भू-भाटक के स्थान पर, एक मुश्त राशि ली जाकर किया जाया करे."

(2) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

40 मि. — " इस सदन का मत है कि प्रदेश में लाखों हेक्टेयर भूमि जो माफी व औकाफ़ विभाग में मन्दिरों के नाम से दर्ज है एवं शासन को भूमि से कोई लाभ नहीं है लेकिन शासन प्रतिवर्ष लाखों रूपया कर्मचारी व अधिकारियों पर खर्च करता है. अतः माफी औकाफ़ विभाग को शासन समाप्त करे. "

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. — " सदन का यह मत है कि सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड के लगभग 900 सिंचाई तालाबों का जीर्णोद्धार एक निश्चित समय तय कर के कराया जाये और इस हेतु राज्य शासन प्राथमिकता पर धन उपलब्ध कराये."

(4) श्री नन्दकुमार सिंह चौहान, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. — " सदन का यह मत है कि सबसे सस्ती व प्रभावी चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी के डिप्लोमा एवं डिग्री महाविद्यालयों को रात्रिकालीन कक्षाएं चलाये जाने की अनुमति दी जाए. "

(5) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. — " सदन का मत है कि प्रदेश में वृद्धों को, जो साठ वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों तथा समस्त नेत्रहीन एवं विकलांग मानव जो किसी भी उम्र के हों 300/- रूपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाय."

6. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 18 अगस्त, 1994 को वन मंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्रमांक 1099) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 19 अगस्त, 1994 को उप मुख्यमंत्री (राजस्व) से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक 720) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री मोती कश्यप, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 15 सितम्बर, 1994

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा